

Serial No. 20490

Book No. :- 1 Deed No. 17404

Serial No. 20490



Deed No. 17404

**Govt. of Bihar
District Registry Office, Patna**

Summary of Endorsement

This document was presented for registration on 06/06/2012 by Rajesh Kumar
A stamp duty of Rs. 355100/- and other fees of Rs. 1304/- has been paid in it.

The document was found admissible. The names, photographs and fingerprints and signatures of the executants, and their identifier, who have admitted execution before me, are affixed on the reverse page.

The document has been registered as deed no. 17404 in Book No. 1, Volume No. 319 on pages from 181 to 199 and has been preserved in total 19 pages in C.D. No. 50 / Year 2012

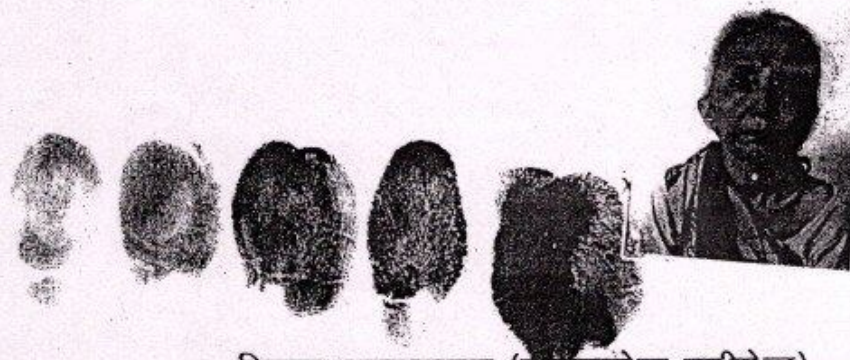
Date: 07/06/2012

Token No: 21107 / 2012

Signature with Date
(Ashok Kumar Thakur)
Registering Officer, Patna

07/06/2012

Sealed by
Archives 319



विकास एकरारनामा (डेभलपमेन्ट एग्रीमेन्ट)

आज दिनांक 6.06.2012 को यह विकास एकरारनामा
(डेभलपमेन्ट एग्रीमेन्ट) निम्नलिखित व्यक्तियों के बीच
किया गया।



शेकनसुक
6/6/12
विकास एकरारनामा
6/6/12

विकास एकरारनामा
6/6/12
विकास एकरारनामा
6/6/12
विकास एकरारनामा
6/6/12



(2)

श्रीमती मनोरमा देवी, जौजे श्री महेन्दर प्रसाद सिंह,
निवासी ग्राम -सदानीचक, थाना- परसा वजार, पो0-
मितनचक, जिला- पटना भारतीय नागरिक।

.....प्रथम पक्ष

बनाम्

मेसर्स राज कन्स्ट्रक्शन, कार्यालय- न्यू चित्रगुप्त नगर,
पार्वती पथ, थाना- पत्रकार नगर, जिला- पटना के
साझेदार (1) श्री राजेश कुमार बल्द श्री राजेन्द्र सिंह,
निवासी मोहल्ला- लालजी टोला, पो0- जी0पी0ओ0,
थाना- गॉंधी मैदान, जिला- पटना, भारतीय नागरिक।

(2) श्री राजेश कुमार वल्द श्री अजीत कुमार, निवासी-
मोहल्ला- न्यू चित्रगुप्त नगर, पार्वती पथ, थाना- पत्रकार
नगर, जिला- पटना, भारतीय नागरिक। (3) श्री उमेश
कुमार अंशुल बल्द स० चन्देशवर प्रसाद सिंह, निवासी
मोहल्ला-अशोक नगर कंकडवाग, पो0- कंकडवाग
थाना- कंकडवाग, जिला- पटना,

..... द्वितीय पक्ष

यह कि तमामी मवाजी रकवा 35.5 डिसमिल, मौजा-
जगनपुरा, खाता नं0- 74, सर्वे खेसरा नं0- 300 अंश,
तौजी नं0- 131, थाना नं0- 26, थाना- रामकृष्णा
नगर, वार्ड नं0- 22, सदर रजिस्ट्री-को जिला- पटना
अन्दर पटना नगर निगम तथा पटना क्षेत्र के दायरे के
अन्दर है, जिसका पूर्ण विवरण इस एकरारनामा के नीचे
परिशिष्ट-1 में दर्ज है।

Rajesh Kumar
5/6/12

Rajesh Kumar
5/6/12

Chakraborty
5/6/12

24-11-2011
01/11/2011
5-6-12



(3)

यह कि प्रथम पक्ष ने अपने उपरोक्त जमीन को जिसका पूर्ण विवरण इस एकरारनामा के नीचे दर्ज है, उसको द्वितीय पक्ष को बहुमंजिलीय मकान बनाकर विकसित करने के लिए देना स्वीकार किया है वो द्वितीय पक्ष भी उपरोक्त जमीन पर बहुमंजिली मकान बनाकर विकसित करने के लिए लेना स्वीकार किए हैं।

यह कि प्रथम पक्ष ने इस लिखित एकरारनामा लिखवाकर द्वितीय पक्ष को बहुमंजिलीय मकान बनाने के लिए उपरोक्त जायदाद परिशिष्ट संख्या-1 पर पूर्ण रूप से इसलिए दखल कब्जा दे दिया है की वो उसपर बहुमंजिलीय मकान, फ्लैट्स वो कार पार्किंग वो ~~बुनायेगें~~ जो निम्नलिखित शर्तों पर दिया गया है:-

1- यह कि प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष को विश्वास दिलाया है कि उपरोक्त जमीन जिसका विवरण इस वसीका के परिशिष्ट संख्या-1 में दर्ज है, वो हर प्रकार के नुक्स हकियत वो ऋण भार से मुक्त है, वो अगर बहुमंजिलीय मकान बनाने के समय या बनाने के बाद किसी प्रकार का नुक्स हकियत या ऋण भार पाया जायेगा तो उसकी क्षतिपूर्ति का पूर्ण भार प्रथम पक्ष पर रहेगा।

2- यह कि इस एकरारनामा के निष्पादन हो जाने के बाद तुरंत उस जमीन को द्वितीय पक्ष द्वारा अमीन से मापी करवा कर बहुमंजिलीय मकान बनाने की कार्रवाई



Handwritten notes and signatures in the top right corner, including names like 'Rajesh Kumar' and dates like '5/6/12'.

Handwritten notes and signatures in the middle right, including '21-12-11' and '5-6-12'.



Handwritten signatures and dates in the bottom right, including 'Rajesh Kumar', '5/6/12', and '5/6/12'.

(4)

शुरू कर देंगे ।

3- यह कि द्वितीय पक्ष (डेभलपर) उस जमीन पर किसी तरह का बहुमंजिला मकान बनाने का काम नियमानुकूल ही करेंगे तथा जो भी बहुमंजिला मकान बनायेंगे उसे पहले सक्षम पदाधिकारी विभाग के द्वारा जरूरत के मुताबिक आदेश प्राप्त करेंगे । इस कार्य के लिए डेभलपर पटना नगर निगम/पी0आर0डी0ए0 से नक्शा प्रपोज्ड प्लान नियम कानून के तहत पास करावेंगे जिसे (प्रपोज्ड प्लान) भू-खण्ड मालिक को दिखाने के बाद उनकी सहमति से ही दाखिल करेंगे । तत्पश्चात् ही डेभलपर उस भूमि पर बहुमंजिला मकान का नक्शा पास तथा निर्माण कार्य प्रारम्भ करेंगे ।

4- यह कि डेभलपर यानी द्वितीय पक्ष इस वसीका में दिये गये परिशिष्ट-1 में वर्णित जमीन पर इस शर्त पर यह एकरारनामा कर रहे हैं कि विकसित किया हुआ बहुमंजिला भवन का कुल निर्माण रकबा (बिल्ड-अप एरिया) का 50% (पचास प्रतिशत) बिल्ड-अप एरिया पार्किंग के साथ भू-खण्ड मालिक यानी प्रथम पक्ष को डेभलपर यानी द्वितीय पक्ष बिना किसी जोर दबाव के दे देंगे, जिस पर भू-खण्ड मालिक यानी प्रथम पक्ष का पूर्ण अधिकार एवं स्वत्व एवं दखल-कब्जा हो जायेगा और वे जिस तरह चाहें उस तरह अपना उपयोग, उपभोग करेंगे एवं किसी दूसरे से भी हस्तान्तरण करने का पूर्ण अधिकार अपने हिस्से के भाग को प्रथम पक्ष को ही रहेगा ।



21-11-2012
21-11-2012
5-6-12

Rajesh Kumar
5/6/12

Rajesh Kumar
5/6/12
5/6/12

(5)

5- यह कि प्रथम पक्ष वो द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि वह अपने-अपने हिस्से को किसी को विक्रय कर सकते हैं या किराया पर लगा सकते हैं या उस पर व्यवसायिक संस्था से कर्ज ले सकते हैं या खुद निवास कर सकते हैं ।

6- यह कि प्रथम पक्ष वो द्वितीय पक्ष को बने हुए बहुमंजिलीय मकान में अपना-अपना हिस्सा किधर मिलेगा इसको दोनों पक्ष आपस में बैठकर सभी तल्ले पर अपने हिस्से के अनुसार पटना नगर निगम/पी0आर0डी0ए0 से नक्शा पास होने के बाद तय कर एकरारनामा (Allotment Agreement) बना लेंगे। बाकी अनिर्मित हिस्से जैसे सड़क उसके अगल-बगल के जमीन, खुले हिस्से, सीढ़ी पैसेज, बिजली, पानी लगाने वाली सैगह वगैरह आदि पर प्रथम पक्ष वो द्वितीय पक्ष को अपने-अपने हिस्सा मुताबिक 50% पार्किंग के साथ वरावर-वरावर इजमालन दखल-कब्जा में रहेंगे। वो प्रथम पक्ष वो उनके द्वारा जिनको फ्लैट का हस्तान्तरण करेंगे, उनको वो द्वितीय पक्ष या उसके हस्तान्तरण किये गये फ्लैटों के व्यक्तियों को उपरोक्त संयुक्त स्थान संयुक्त रूप से उपयोग करने का अधिकार रहेगा।

7- यह कि इस लेख्य के परिशिष्ट-1 में वर्णित भूमि पर विकास कर बहुमंजिला मकान निर्माण करने का अधिकार सिर्फ द्वितीय पक्ष यानी डेभलपर का ही होगा। भवन निर्माण करने के संबंध में नक्शा पास कराने का



24.11.2012

24.11.2012

5-6-12

Rajesh Kumar
5/6/12

Rajesh Kumar
5/6/12

काम या किसी सक्षम पदाधिकारी का आदेश प्राप्त करने की पूरी जबाबदेही सिर्फ द्वितीय पक्ष का ही रहेगा। उन सब चीजों में जो भी खर्च वहन करना पड़े वह खर्च द्वितीय पक्ष ही करेंगे।

8- यह कि भवन निर्माण में किसी तरह का जो भी खर्च या व्यय होगा उस खर्च से डेभलपर द्वारा जो भी भवन निर्माण के संबंध में खर्च होगा उसका हिसाब-किताब, लेन-देन से किसी भी तरह का कोई मतलब या सम्बन्ध प्रथम पक्ष को या उनके वारिसान या उनके उत्तराधिकारियों को नहीं रहेगा।

9- यह कि बहुमंजलीय मकान पूर्ण रूप से विकसित करने का निर्माण अवधि विकास एकरारनामा होने के बाद 4 (चार) साल रहेगा तथा चारदिवाली होने में किसी के द्वारा रोक लगाने से विलम्ब होने पर उस अवधि को निर्माण अवधि में नहीं लेना होगा। द्वितीय पक्ष खण्ड-खण्ड कर या जिस तरह से सुविधा हो उस तरह उक्त अवधि तक निश्चित रूप से निर्माण का कार्य पूरा कर प्रथम पक्ष को दिये गये 50% (पचास प्रतिशत) हिस्से के अनुसार पूरा कर लेंगे तथा उक्त अवधि के अन्दर ही पूर्ण रूप से निर्मित फ्लैट/कार पार्किंग/कुआर पर दखल कब्जा प्रथम पक्ष के हिस्से के अनुसार द्वितीय पक्ष करा देंगे। भूखण्ड मालिक के हिस्से में दिया गया 50% (पचास प्रतिशत) फ्लैट/कार पार्किंग/कुआर आदि



21.12.2012

01.12.2012

Rajesh Kumar
5/6/12

Rajesh Kumar
5/6/12
Rajesh Kumar
5/6/12

समेत दिया जायेगा जो उक्त भूमि का मुआवजा होगा।
भविष्य में भू-खण्ड मालिक एवं उनके वारिसान तथा
उत्तराधिकारी भी उक्त भू-खण्ड पर दावा नहीं करेंगे।

10- यह कि किसी अनहोनी घटना या प्रकृति की
कोप लीला सरकारी संस्था से रूकावट इत्यादि के
वजह से भवन बनाने में जो समय बर्बाद होगा, जिससे
भवन निर्माण में विलम्ब होगा उस अवधि को निर्माण
की अवधि में नहीं लिया जाएगा।

11- यह कि भवन निर्माण में प्रथम पक्ष के सदस्यों
एवं उनके वारिसानों के द्वारा किसी प्रकार की कोई
आपत्ति करने का अधिकार नहीं रहेगा। लेकिन भवन
निर्माण सामग्री को जाँच करने का अधिकार प्रथम पक्ष
को होगा। अगर प्रथम पक्ष के सदस्यों एवं उनके वारिसानों
के द्वारा बहुमंजलीय कार्य रोक दिया जाता है तो वह
अवधि निर्माण अवधि में नहीं लिया जायेगा।

12- यह कि डेभलपर को यानी द्वितीय पक्ष अपने
सुविधा के नियमानुसार भू-खण्ड पर भवन का निर्माण
करेंगे। इस पर प्रथम पक्ष को किसी तरह का कोई
एतराज या आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा।

13- यह कि समय अनुसार या नियम कानून के अनुसार
निर्माणाधीन भवन में किसी तरह का फेर-बदल करना
पड़े तो भवन निर्माता यानी डेभलपर प्रथम पक्ष से
विचार कर उस कार्य को करने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र
रहेगा।



21.12.12
21.12.12
21.12.12

Rajesh Kumar
5/6/12



Rajesh Kumar
5/6/12
5/6/12

14- यह कि डेभलपर स्वयं या किसी अन्य भवन निर्माता या ठीकेदार को रख कर भवन-निर्माण करायेंगे, निर्माण के समय अभियंता या अन्य पदाधिकारी की नियुक्ति या प्रोन्नति या हटाने का पूर्ण अधिकार सिर्फ द्वितीय पक्ष को ही रहेगा । उसी प्रकार, द्वितीय पक्ष सुविधा अनुसार अभियंता, आर्किटेक्ट, सर्वेयर बहाल कर सकते हैं । जिसका संपूर्ण व्यय द्वितीय पक्ष को वहन करना है जो दायित्व है ।

15- यह कि दोनों पक्षकार सहमत हैं और वचनबद्ध हैं कि वे बिहार अपार्टमेंट स्वामित्व अधिनियम 2006 की धारा- 5(1) एवं 5(2) तथा अन्य सभी प्रावधानों एवं नियमों का पालन करेंगे और अधिनियम के अनुरूप भवन निर्माण पूर्ण होने के बाद विकासक/संप्रवर्तक 50% (पचास प्रतिशत) एवं भू-स्वामी 50% (पचास प्रतिशत) अपने अपने हिस्से के निरपेक्ष स्वामी होंगे तथा वे अपने-अपने हिस्से को पृथक से बेचने/अन्तरण करने के हकदार होंगे और उसका नियमानुकूल सक्षम निबंधन कार्यालय में निबंधन करेंगे जिसमें उक्त अधिनियम एवं नियम का पालन किया जायेगा । जिसके लिए विकासक/संप्रवर्तक को भी अलग से किसी भी पावर ऑफ अटर्नी या किसी एग्रीमेन्ट की जरूरत नहीं होगी । विकासक अपने हिस्से का 50% (पचास प्रतिशत) क्षेत्र बंधक रखकर ऋण ले सकेंगे और विक्रय के लिए एकराश्वामा करेंगे । जिसमें जमीन मालिक के 50% (पचास प्रतिशत) हिस्से का क्षेत्र सम्मिलित नहीं रहेगा । इसके



21.12.2012

21.12.2012

5-6-12

Rajesh Kumar
5/6/12

Rajesh Kumar
5/6/12
5/6/12

बावजूद भी अगर आवश्यकता होगी तो जमीन मालिक एवं अनिबंधित/निबंधित सामान्य पावर ऑफ अटर्नी देंगे और डेवेलपर अथवा/और उनके नामित व्यक्ति अथवा उत्तराधिकारियों के पक्ष में पंजीकृत कराएंगे जिससे डेवेलपर को कार्य करने में कोई बाधा या विरोध न हो और उसके द्वारा डेवेलपर को उक्त भूमि पर शांति पूर्वक काम करने के लिए अधिकार देंगे जो अन्नयन के लिए उसकी योजना बनाने के लिए तथा उक्त इमारत के निर्माण तथा फ्लैटों की बिक्री रजिस्ट्री इत्यादि के लिए विकासक एवं जमीन मालिक अपने-अपने हिस्से को अलग-अलग करेंगे ।

16- यह कि इस लेख्य के परिशिष्ट संख्या-1 में वर्णित भूमि पर भवन निर्माण करने के संबंध में पटना नगर निगम या किसी अन्य विभाग में आवेदन देने की जरूरत पड़े या हस्ताक्षर करने की जरूरत पड़े या मुकदमा करने या अधिवक्ता बहाल करने या वकालतनामा लिखने या शपथ-पत्र या अन्य किसी चीज की जरूरत पड़े तो यह कार्य करने के लिए द्वितीय पक्ष पूर्ण रूप में से स्वतंत्र रहेगा । परन्तु, इन सबों की सूचना लिखित रूप में भू-खण्ड मालिक या उनके प्रतिनिधि को कर देंगे ।

17- यह कि द्वितीय पक्ष भू-खण्ड मालिक के 50% (पचास प्रतिशत) हिस्से को छोड़कर अपने हिस्से के खरीदार ट्रांसफरी के हित में अपने किसी भी फ्लैट/



24/6/12 रजि. 12/12/12



Rajesh Kumar 5/6/12

Rajesh Kumar 5/6/12 5/6/12

~~कु~~/ ब्लॉक सिक्यूरिटी के रूप में रहेगा। इस कर्ज की पूरी भरपाई खरीददार स्वयं करेंगे। दूसरे शब्दों में इस कर्ज से संबंधित देनदारी प्रथम पक्ष की नहीं होगी। इस कार्य में प्रथम पक्ष किसी तरह की कोई आपत्ति प्रकट नहीं करेंगे।

18- यह कि इस एग्रीमेन्ट के तहत जो भी अधिकार भू-खण्ड मालिक को प्राप्त है, वह पूरा अधिकार उनके उत्तराधिकारी/वारिसान (Nominee) का भी रहेगा। भवन में सार्वजनिक स्थान, सीढ़ी, सार्वजनिक पार्किंग का जगह कैम्पस, लिफ्ट, पोर्टिको इत्यादि में जो अधिकार डेभलपर या उनके वारिसान का होगा वही अधिकार भू-खण्ड मालिक या उनके उत्तराधिकारी/वारिसान का रहेगा।

19- यह कि प्रथम पक्ष या उनके उत्तराधिकारी/वारिसान तथा द्वितीय पक्ष या उनके वारिसान में भविष्य में किसी प्रकार का विवाद खड़ा हो जाय, वैसी स्थिति में आपस में मिलजुल कर समझौता कर लेंगे फिर भी विवाद समाप्त नहीं होता तो वैसी इमेलत में पटना न्यायालय के क्षेत्राधिकार में विवाद लाने का अधिकार रहेगा।

20- यह कि यह डेभलपर एग्रीमेन्ट किसी भी समय या किसी भी आधार पर डेभलपर एवं भू-खण्ड मालिक का साझेदारी नहीं समझा जायेगा।



24.12.12 को
वा. वि. न्यायालय में

Rajesh Kumar
5/6/12

Rajesh Kumar
5/6/12
5/6/12

21- यह कि इस भूखण्ड पर वने भवन में सबसे उपरी छत प्रथम पक्ष एवं दूसरे पक्ष अपने निर्धारित हिस्से के मुताबिक विभाजित कर लेंगे और अपने हिस्से में मिले भाग को चाहे रखें या किसी दूसरे के हाथ बेच दे और इस तरह एक के भाग से दूसरे को कोई संबंध विभाजन के बाद नहीं रह जायेगा। विकासक इस तरह से उस छत का विभाजन करेंगे की दोनों के मिले हुए भाग में जाने का स्वतंत्र रास्ता होगा।

22- यह कि भविष्य में उपरी छत के उपर भी निर्माण की वैधानिक जरूरत पड़े तो उपर निर्मित भाग में भी दोनों पक्षों की हिस्सेदारी पूर्ववत् रहेगी।

23- यह कि बहुमंजलीय भवन का नाम "महेन्दर एपार्टमेन्ट" होगा।

24- यह कि यदि डेवलपर निर्माण में अनुमोदित नक्शे का विचलन करें तो उसकी जिम्मेवारी डेवलपर की होगी और दोनों पक्षों की हिस्सेदारी पूर्ववत् रहेगी।

25- यह कि इस एग्रीमेन्ट के निष्पादित होने के दिन से ही भूखण्ड पर डेवलपर यानि द्वितीय पक्ष का अधिकार हो जायेगा और डेवलपर उस जमीन पर विकास या निर्माण हेतु अपने खर्च पर कार्य प्रारम्भ कर देगा।

21- 22- 23- 24- 25-
5/6/12



5/6/12

Rajesh Kumar
5/6/12

Rajesh Kumar
5/6/12



इसमें भू-खण्ड मालिक को कोई आपत्ति नहीं होगी।

26- यह कि डेवलपर इस लेख्य के परिशिष्ट संख्या-1 में वर्णित भू-खण्ड पर भवन निर्माण करने में डेवलपर को कोई पार्टनर या साझेदार की आवश्यकता हो या कोई सोसायटी या कोई कॉरपोरेट बॉडी शामिल करने की जरूरत हो, तो वह स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की आपत्ति, भूखण्ड मालिक को नहीं होगी।

27- यह कि समय-सीमा के अन्दर प्रथम पक्ष के हिस्से को डेवलपर द्वारा पूरा नहीं करने पर डेवलपर के आर्किटेक्ट के मुताबिक डेवलपर भू-खण्ड मालिक को प्रति स्कावयर फीट रु0 2/- (दो रुपये मात्र) के हिसाब से प्रत्येक माह किराया देना होगा। यह किराया प्रथम पक्ष के 50% (पचास प्रतिशत) के बचे हुए हिस्से पर ही लगेगा जिसका दखल कब्जा प्रथम पक्ष को नहीं दिया गया है।

28- यह कि भूखण्ड स्वामी एवं विकासकर्ता बिहार अपार्टमेंट ऑनरशीप एक्ट 2006 तथा बिहार अपार्टमेंट ऑनरशीप रूल 2006 के अन्तर्गत निर्माण कार्य एवं सारी सुख-सुविधा सहित निर्माण करेंगे तथा अपने-अपने हक वो हिस्सा के शेयर को इस्तेमाल में लावेंगे तथा अपने-अपने खरीदार को बिक्री करेंगे एवं बैयवेयाना, बंधक, लीज, बिक्रय-पत्र तथा किसी भी प्रकार के दस्तावेज के निबंधन में पावर ऑफ एटॉर्नी की आवश्यकता



21.01.2012
Rajesh Kumar
5/6/12
S. 6-12
5/6/12
Rajesh Kumar
5/6/12

इस कानून के तहत नहीं है और न भविष्य में होगा।

29- यह कि द्वितीय पक्ष भवन के सभी फ्लैट में निम्नलिखित प्रकार की सामग्री लगाकर देंगे।

- (क) जमीन सतह (फ्लोरिंग)- फ्लैट की सभी सतह पर मार्बल या टाइल्स फ्लोरिंग होगा।
- (ख) खिड़की-सखुआ के लकड़ी का चौखट के साथ गम्भार के पल्ला एवं ग्लास के साथ लोहे का ग्रील पेन्ट किया हुआ रहेगा।
- (ग) दरवाजा-सखुआ के लकड़ी का चौखट के साथ 30 एम0एम0 का मोटा प्लस वाटर प्रूफ प्लाईबोर्ड का दरवाजा पेन्ट किया हुआ रहेगा।
- (घ) रसोई-रसोई का मेन स्लैब 20 इंच चौड़ा जिसका उँचाई जमीन से 30 इंच रहेगा, इसपर मार्बल का स्लैब लगा हुआ रहेगा।
- (ङ) स्नानघर (बाथरूम)-बाथरूम के दीवाल पे सात फीट उंचा ग्लेज टाइल्स सभी तरफ लगा हुआ रहेगा। सभी फ्लैट में दो बास बेसिन तथा एक बाथरूम में हॉट कोल्ड पानी का पाईप लगा हुआ रहेगा।
- (च) दीवाल व्हाइट वाश- पि0ओ0पि0 के किया हुआ दीवाल रहेगा
- (छ) टेलीफोन तथा केबल- टेलीफोन तथा केबल



21 च 20 22, 2012
वा: 20 20 12

Rajesh Kumar
7/6/12

S-6-12

Rajesh Kumar
5/6/12

का ड्राइंग हॉल में प्वाइंट दिया हुआ रहेगा ।

- (ज) बिजली-नक्शे के हिसाब से सभी जगह बिजली का प्वाइंट दिया हुआ रहेगा । सभी समान आई0एस0मार्क का होगा ।
- (झ) जनरेटर एवं लिफ्ट लोड कैपिसिटी के अनुसार दिया जायगा ।

परिशिष्ट-1 (एक)

यह कि तमामी मवाजी रकवा 35.5 डिसमिल, मौजा-
जगनपुरा, खाता नं0- 74, सर्वे खेसरा नं0- 300 अंश,
तौजी नं0- 131, थाना नं0- 26, थाना- रामकृष्णा
नगर, वार्ड नं0- 22, सदर रजिस्ट्री वो जिला- पटना
अन्दर पटना नगर निगम प्राधिकार क्षेत्र के दायरे में है
जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है :-

उत्तर - सहायक रोड
दक्षिण - जगत सिंह
पुरब- मदन सिंह
पश्चिम- राम नारायण सिंह

मौजा-जगनपुरा, मवाजी-35.5 डिसमिल जिसका थाना
कोड नं0-322, जोन-3, वार्ड नं0- 22 के अवासीय
सहायक रोड का दाम मो0 5, 00,000/- रुपये
प्रति डिसमिल जिसका कुल कीमत मो0
1,77,50,000/- रुपये होगा।



Rajesh Kumar
5/6/12

Rajesh Kumar
5/6/12
5/6/12

21.11.2012
01.11.2012
5-6-12

हस्ताक्षर प्रथम पक्ष 5-6-12
(भू-खण्ड मालिक)

Endorsement of Certificate of Admissibility

Admissible under Rule 5 : duly Stamped (or exempted from or does not require stamp duty) under the Indian Stamp Act, 1899, Schedule I or I-A, No. '05'. Also admissible under section 26(a) of the B. T. Act.

The Document is kept pending for Commission

Stamp duty paid under Indian Stamp Act Rs. 355100/-

Addl. Stamp duty paid under Municipal Act Rs. 0/-

Amt. Paid By N.J Stamp Paper

Rs. 0/-

Amt. paid through Bank Challan

Rs. 356404/-

Registration Fee										LLR + Proc Fee		Service Charge	
FEE PAID	A1	0	C	0	H1b	0	K1a	0	Lii	0	LLR	0	500
	A8	0	D	0	H2	0	K1b	0	Liii	0	Proc.Fee	0	
	A9	0	DD	0	I	0	K1c	500	Mb	0	Total	0	
	A10	0	E	250	J1	0	K2	0	Na	54			
	B	0	H1a	0	J2	0	Li	0					
	TOTAL-										804		

Total amount paid (Reg. fee+LLR, Proc+Service Charge) in Rs. - 1304

Date: 06/06/2012

Registering Officer
Patna

Endorsement under section 52

Presented for registration at Registration Office, Patna on Wednesday, 06th June 2012 by Rajesh Kumar of S/O-Sri Rajendra Singh by profession Others. Status - Claimant

Rajesh Kumar
6/6/12

Signature/L.T.I. of Presentant

Date: 06/06/2012

Registering Officer
Patna

Endorsement under section 58

Execution is admitted by those Executants and Identified by the person (Identified by 'Niraj Kumar' age '21' Sex 'M', 'S/O-Mahendra Prasad Singh', resident of 'Saidanichak, Dariyapur, Sampatchak, Patna'.), whose Names, Photographs, Fingerprints and Signatures are affixed as such on back page / pages of the instrument.

Date : 06/06/2012

Registering Officer
Patna



Token No. : 21107

Year : 2012 S.No. : 20490

SCORE Ver.3.0

Deed No. : P